04/2017 जिला कलेक्टर

अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2017 अनवानी श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र आसाराम निवासी राजपुरा पिपरेन तहसील सूरतगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

A3

11–02–2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र कुमार पटवारी उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2016 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से चाही गई सूचनाएं उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवए जाने का आदेश प्रदान किया जावे जावे एवं खर्चा दिलवाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना पत्र दिनांक 08.12.2016 के द्वारा समय अवधि में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील निरस्त की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2016 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. मान्यवर ये बताए की ग्राम राजपुरा पीपरेन तहसील सूरतगढ की रोही राजपुरा पीपरेन की भूमी पर जो घग्घर बहाव क्षेत्र है वह भूमी कौन कौन सी है खसरा न0 मय नक्शा
2. मान्यवर यही भी बताए की घग्घर बहाब क्षेत्र में जो जमीन है उसके आरसी कागजात से कानून खातेधारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार है या नही।
3. वही तो घग्घर के साथ जो सन्धी हुई उसकी सयुक्तं जानकारी ओर खातेदारी अधिकार पाने के हकदार क्यो नही है। उसकी सम्पूर्ण जानकारी और यह घघर बहाव क्षेत्र के अधीन कब से है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपना जबाब सं0 237 दिनांक 23.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 7134 दिनांक 08.12.2016 के द्वारा समय अवधि में प्रार्थी को भिजवा दी गई थी इसलिए अपील खारिज की जावे।

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा पत्र सं0 7134 दिनांक 08.12.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. मुताबिक पटवारी रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड जमाबंदी रोही राजपुरा पीपरेन के अनुसार ख0न0 177/1, 184/1, 188/1, 186, 254/1, 336/2, 375/3, 412/1, 428/1, 433/1, 435/3, 441/1 की कुल 26.642 हैक्टेयर भूमि घग्घर बाढ नियन्त्रण खण्ड सूरतगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम के नक्शा मे घग्घर बहाव का नक्शा अलग मे दर्ज नही है।
2. घग्घर बाढ नियन्त्रण खण्ड की भूमि की खातेधारी नियमानुसार नही दी जा सकती।
3. घग्घर बहाव क्षेत्र से बाहर की भूमि नियमानुसार खातेदारी प्राप्त की जा सकती है। आप द्वारा चाही गई सूचना की उक्त भूमि घग्घर बाढ नियन्त्रण खण्ड के अधीन कब से है सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नात्मक सूचना देय नही है।

तहसीलदार, सूरतगढ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना बिन्दुवार दी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार उपलब्ध करवाई गई सूचना दिनांक 08.12.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर